

सेवा कार्मिक द्वारा घोषणा

(फार्म 2 या 2क, यथामामला, में कथन के साथ संलग्न किया जाए)

मैं,(बड़े अक्षरों में नाम) अपने मूल स्थान, जहां का मैं सामान्य रूप से निवासी होता यदि मैं सेवा अर्हता धारक न होता, की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में स्वयं को और *अपनी पत्नी को सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अपने रिकार्ड कार्यालय/कमांडेट के माध्यम से आवेदन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में मेरा मूल निवास आता है, उसमें जब कभी भी निर्वाचन आयोजित किए जाएं तो मुझे डाक मत पत्र/परोक्षी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

मैं, इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं और *मेरी पत्नी ने किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र या जहां वर्तमान में मैं तैनात हूँ और रह रहा हूँ, की निर्वाचक नामावली के सामान्य भाग में सामान्य निर्वाचक के रूप में *हमने/मैंने न तो पहले से पंजीकरण करवाया हुआ है और न ही इस तरह के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

इसके अतिरिक्त, मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं उस विधि से परिचित हूँ जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में या भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने पर प्रतिबन्ध लगाती है और यदि मेरा या *मेरी पत्नी का नाम अलग-अलग स्थानों पर दिखाई पड़ता है तो मेरे मूल स्थान, जिसके लिए मैंने संलग्न कथन दिया है, की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग को छोड़कर, अन्य सभी स्थानों से हटा दिया जाए।

सेवा कार्मिक के हस्ताक्षर.....

रैंक

स्थान:.....

दिनांक:.....

*यदि पत्नी का नाम फार्म 2 या 2क, यथास्थिति, में शामिल नहीं है तो उसे हटा दें।